न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 39A / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. गिरधारीराम पुत्र नरसिंगाराम जाति जाट निवासी पूनियों की बस्ती (आदर्श चवा)तहसील व जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1.सताराम पुत्र गिरधारीराम 2.राऊराम पुत्र गिरधारीराम 3.श्रीमती जमना पत्नी गिरधारीराम जाति जाट निवासी पूनियों की बस्ती (आदर्श चवा) तहसील व जिला बाड़मेर। 4.उप पंजीयक, बाड़मेर। 5.राज.राज्य द्वारा तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 239/2005 बअनवान सताराम बनाम गिरधारीराम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.12.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चैनाराम सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री चेतनराम सारण रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 21.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पूनियों की बस्ती (आदर्श चवा) अपीलांट की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1040 रकबा 32.10 बीघा आया हुआ है। रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 के तहत का पेश किया। 15 माह लगातार पत्रावली साक्ष्य में लम्बित रही तथा दिनांक 18.01.2007 को वादी/रेस्पोडेंट अथवा उसका वकील न्यायालय में हाजिर नहीं आये अतः अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि वादी/रेस्पोडंट प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहता खारिज कर दिया। यही वाद दिनांक 06.02.2007 को पुनः बरामद होकर दिनांक 19.04.2008 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारीज हुआ। यही वाद दिनांक 21.08.2008 को पुनः बरामद होकर दिनांक 07.04.2011 को फिर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज हुआ। यह वाद लगातार तीन बार अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारीज होने के चार साल आठ माह बाद दिनांक 22.12.2015 को यह पुनः अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ तथा बरामदगी आवेदन के साथ वादीगण के पद में श्रीमती जमनादेवी को जोड़ना, संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लेना, वाद की धारा 53 विद्रा करना। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.12.2015 को बिना परीसीमा का ध्यान में रखे रेस्पोडेंट/वादी के उपरोक्त तीनों बिंदु वाद बरामद कर स्वीकार किये वाद में श्रीमती जमना देवी को पक्षकार वादी बनाया, संशोधित शीर्षक लिया, धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सहायता का वाद विद्रा किया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वाद को संशोधित कराये अपीलाधीन डिक्री उसी दिन दिनांक 22.12.2015 को एकपक्षीय जारी कर खेत खसरा संख्या 1040 रकबा 32.10 बीघा ग्राम पूनियों की बस्ती पटवार मंडल आदर्श चवा में रेस्पोडेंट/वादीगण ने उतरदाता को हिस्सा 3/4 तथा प्रतिवादी/अपीलांट का हिस्सा 1/4 घोषित किया जाकर डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व यही वाद दिनांक 18.01.2007 पुनः दिनांक 19.04.2008 व पुनः दिनांक 07.04.2011 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारीज हो चुका था वाद पुनः बरामद करने पर प्रतिवादी/अपीलांट को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर तलब करना आवश्यक था। अपीलाधीन वाद जो तसरी बार दिनांक 07.04.2011 को खारीज हो चुका था को बिना विलम्ब जो 1730 दिन का था बिना उपशमन किये दिनांक 22.12.2015 को बरामद किया उसी दिन वादीनी संख्या 03 को पक्षकार बनने का आवेदन पेश हुआ जो स्वीकार कर उसे पक्षकार बनाया उसी दिन वाद का संशोधित शीर्षक लिया व बिना वाद को संशोधित किये प्लीडींग से बाहर जाकर उसी दिन अपीलाधीन डिक्री पारित की गई। यह समस्त कार्यवाही एकपक्षीय, विधि विरूद्ध तथा वाद पत्र से सर्वथा भिन्न है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि पैतृक व पुश्तैनी है जो वक्त सेटलमेंट के समय मिसल बंदोस्त वादीगण के पड़दादा देराज वल्द भूरा के नाम जारी हुई थी, और देराज के फोत होने पर रेस्पोडेंट/वादीगण के दादा नरसिंगाराम के नाम दर्ज हुई, नरसिंगाराम के फोत होने पर खातेदारी अधिकार अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 को प्राप्त हुई। इस कारण पैतृक व पुश्तैनी भूमि मे पोते अपने दादा या पिता के जीवनकाल में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है जिसमें कोई विधिक त्रुटि शेष नहीं है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कि अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया। प्रथम पेशी दिनांक 14.10.2015 का बिना इस बात की जांच किये कि अपीलांट/प्रतिवादी पर सम्मन तामिल सम्यक रूप से हुई है या नहीं अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.03.2016 को गांवाई चर्चा के कारण होने पर अपीलाधीन निर्णय की नकले प्राप्त की तब अपीलांटगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और उभयपक्ष में दावा तीसरी बार पुनः बरामद होने के पश्चात अपीलांट पक्ष को बिना सूचना, बिना उन्हे सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा आवेदन आदेश अन्तर्गत धारा 01 नियम 10 को स्वीकार कर निर्णय दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 239/2005 बअनवान सताराम बनाम गिरधारीराम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.12.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

21/5/19

(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner